an>

Title: Need to give ownership rights to landless people who were allotted plots in 1983-84.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में गरीबों के हित के लिए एक सेन्सिटिव मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) इन...* की सरकार 20 साल तक रही,...(व्यवधान) वर्ष 1983-84 में भूमिहिनों को प्लॉट्स दिये गये थे। ...(व्यवधान) उन भूमिहिनों को उनका मालिकाना हक, यह सरकार कभी नहीं दे पायी।...(व्यवधान) यह दिल्ली में रहे और केन्द्र में भी रहे।...(व्यवधान) जो लोग वर्ष 1983-84 से सरकारी ग्राम सभा की जमीन पर बैठे हैं,...(व्यवधान) उन्होंने कुछ लोगों को वे प्लॉट्स अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिये हैं। ...(व्यवधान) वर्ष 2011 में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ने आदेश जारी किया कि उनका मालिकाना हक होना चाहिए। ...(व्यवधान) ये ... * जो हरिजनों की बात करते हैं,...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन लोगों के प्लॉट का नोटिफिकैशन करके, दिल्ली सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार उन लोगों को मालिकाना हक दिलायें।...(व्यवधान) उन लोगों की रजिस्ट्री को वैलीड किया जाये।â€¦(व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री रोड़मल नागर,

श्री शरद त्रिपाठी और

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।